फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीसिंह — विपक्षी : श्री किशनसिंह

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 285 / 10

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 18.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प नूरडा में पेश हुई। वादी मंय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्षकारान की मजिद बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वाद वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज हैं। वादी द्वारा करीब 70 वर्षों से मौके पर काबिज होना बताया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया हैं। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री देवीसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री पदमसिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री गोविन्दसिंह, पीडब्ल्यू 4 श्री लक्ष्मणसिंह का पेश किया। दस्तावेज में वादी द्वारा जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, सेटलमेन्ट नकल प्रदर्श 2, जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड प्रदर्श 3 पेश किया। दस्तावेज प्रदर्श 2 सेटलमेन्ट नकल में कब्जेदार के रूप में वादीगण का नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का पिछले 70 वर्षों से लगातार कब्जा चला आ रहा हैं। जिसकों गवाहों एवं दस्तावेजों के माध्यम से वादी ने साबित कराया हैं। वादी द्वारा अन्य पत्रावली प्रकरण सं. 167 / 12 देवीसिंह बनाम किशनसिंह पेश की थी, जो दिनांक 06.10.17 को कन्सोलिडेट की गई थी। प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद पेश किया जिसे प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कर वाद को स्वीकार किया जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की हैं। चूंकि प्रकरण में उभय पक्ष वाद को स्वीकार कराने पर सहमत हैं। चूंकि प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही गई हैं। वाद को स्वीकार किया जाने पर स्टाम्प शूल्क से राजकीय हानि होगी। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद आपसी सहमति अनुसार स्टाम्प शूल्क पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण आपसी सहमति [illegible] स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ढाणा पटवार हल्का [illegible] आराजी नम्बर 2408, 2424, 2425 किता 3 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा [illegible] आराजी नम्बर 2402 से 2407, 2409, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2[illegible] किता 13 रकबा 10 [illegible] भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के बंजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कियां जाता हैं। नियमानुंसार स्टाम्प शूल्क वादीगण से वसूल कर जरिये चालान राजकोष में जमा कराने के पश्चात् डिक्री की पालना की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:58:31 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री देवीसिंह पिता कल्याणसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
2. श्री पदमसिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
3. श्री गोविन्दसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
4. श्री लक्ष्मणसिंह पिता खुमाणसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।

.................वादीगण

बनाम

1. श्री किशनसिंह पिता भूरसिंह मृतक के बजाय :–

1/1 श्रीमती चन्दाकुंवर पत्नी किशनसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।

2. श्री मोहब्बतसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
3. श्री मोहनसिंह पिता भूरसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
4. श्री गोवर्धनसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
5. श्रीमती रसालबाई बेवा हिम्मतसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
6. श्री जयसिंह पिता पदमसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
7. श्री देवीसिंह पिता पदमसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
8. श्री तेजसिंह पिता पदमसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा मृतक के बजाय :–

   8/1 श्रीमती कैलाशकुंवर बेवा तेजसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।

   8/2 श्री लालसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।

   8/3 श्री विक्रमसिंह पिता तेजसिंह राजपूत नाबालिग बविलायत माता कैलाशकुंवर बेवा तेजसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
9. श्री रायसिंह पिता पदमसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
10. श्री हमेरसिंह पिता मालसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
11. श्री सोहनसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
12. श्री श्यामसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
13. श्रीमती उगंम कुंवर बेवा गुलाबसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
14. श्री नारायणसिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
15. श्री भगवतसिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
16. श्री गोवर्धनसिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
17. भंवरकुंवर पुत्री रायसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
18. श्रीमती सुमेरकुंवर बेवा रायसिंह राजपूत निवासी ढाणा नूरडा तह. मावली।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 285/10 (वाद) GCMS No. – 2010/00200

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:58:31 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इनि[illegible]कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर [illegible] की जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. [illegible] अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढाणा पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 2408, 2424, 2425 किता 3 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2402 से 2407, 2409, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431 किता 13 रकबा 10 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। नियमानुसार स्टाम्प शूल्क वादीगण से वसूल कर जरिये चालान राजकोष में जमा कराने के पश्चात् डिक्री की पालना की जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.11.2021 को जारी की गई।